भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 12

जिसका उत्तर सोमवार, 21 जुलाई, 2025/30 आषाढ़, 1947 (शक) को दिया गया

बकाया कृषि ऋणों की माफी योजना

12. श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:
श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:
श्री संजय दिना पाटील:
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:
श्री मोहिते पाटील धैर्यशील राजसिंह:
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:
श्री हनुमान बेनीवाल:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश भर में, विशेष रूप से महाराष्ट्र और राजस्थान में, राज्यवार किसानों पर कुल कितना कृषि ऋण बकाया है;

(ख) क्या सीमांत, लघु काश्तकार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जैसे किसानों की कोई विशिष्ट श्रेणी बकाया ऋणों के बोझ तले अधिक दबी हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बकाया कृषि ऋणों और किसान आत्महत्याओं की घटनाओं के बीच कोई संबंध पाया गया है और यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकार के पास ऐसे मामलों के क्या आंकड़े उपलब्ध हैं;

(घ) क्या सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए सभी बकाया कृषि ऋणों की माफी हेतु कोई राष्ट्रव्यापी योजना बनाने का विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ड.) क्या सरकार ने ऋण माफी पर निर्भरता कम करने के लिए कृषि ऋण नीति में कोई संरचनात्मक सुधार की योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): नाबार्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र -वार बकाया कृषि ऋण की कुल राशि अनुबंध I में दी गई है।

(ख): वर्ष 2021-22 की अवधि के लिए नाबार्ड अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण (एनएएफआईएस) भू धारिता के आकार और पारिवारिक ऋणग्रस्तता के बीच सामान्यतया सकारात्मक संबंध दर्शाता है जिसमें भूमि का आकार बढ़ने पर ऋणी परिवारों का अनुपात 1 हेक्टेयर तक बढ़ जाता है। इस सीमा से परे अधिक भूधारिता वाले परिवारों में ऋणग्रस्तता की घटनाओं में नाममात्र की गिरावट देखी गई है।

(ग): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार गृह मंत्रालय के अंतर्गत आनेवाला राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) 'भारत में दुर्घटनावश मृत्यु और आत्महत्याएं' (एडीएसआई) नामक अपने प्रकाशन में आत्महत्याओं पर सूचना संकलित और प्रसारित करता है। वर्ष 2022 तक की रिपोर्ट एनसीआरबी के वेबसाइट (https://ncrb.gov.in) पर उपलब्ध है। इस एडीएसआई रिपोर्ट में किसान आत्महत्या के लिए अलग-अलग कारण नहीं दिया गया है।

(घ) और (ङ): बकाया कृषि ऋण को माफ करने का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, केंद्र सरकार ने किसानों को राहत प्रदान करने और उनकी आर्थिक स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, किसान क्रेडिट कार्ड(केसीसी) के माध्यम से समय पर और पर्याप्त ऋण प्रदान करना शामिल है जिसके अंतर्गत संशोधित ब्याज सहायता योजना (एमआईएसएस) के अंतर्गत रियायती ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक का फसल ऋण जिसके साथ समय पर पुनर्भुगतान के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन, उत्तरोत्तर बढ़े हुए कृषि ऋण संबंधी लक्ष्य का निर्धारण, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण संबधी संशोधित दिशानिर्देश जारी करना आदि कई उपाय किए हैं, ताकि कृषि क्षेत्र आदि के लिए बेहतर ऋण प्रवाह सुनिश्चित हो सके।

******

अनुबंध I

"बकाया कृषि ऋण को माफ करने" के संबंध में दिनांक 21.7.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 12 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दिनांक 31.3.2025 की स्थिति के अनुसार बकाया कुल ऋण	
		खातों की संख्या (लाख में)	राशि (करोड़ रुपए में)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.14	278.88
2	आंध्र प्रदेश	142.60	3,08,716.83
3	अरुणाचल प्रदेश	0.34	491.44
4	असम	16.84	20,803.77
5	बिहार	121.18	95,578.07
6	चंडीगढ़ यूटी	0.10	2,536.30
7	छत्तीसगढ	21.21	29,290.78
8	दादरा और नगर हवेली यूटी	0.04	171.33
9	दमन और दीव यूटी	0.03	108.43
10	दिल्ली	2.87	26,749.61
11	गोवा	0.84	2,016.40
12	गुजरात	55.76	1,44,330.45
13	हरियाणा	38.52	99,026.93
14	हिमाचल प्रदेश	7.03	14,293.23
15	जम्मू और कश्मीर	11.14	11,716.59
16	झारखंड	31.31	20,421.63
17	कर्नाटक	144.20	2,22,301.82
18	केरल	88.10	1,52,198.71
19	लद्दाख	0.29	349.78
20	लक्षद्वीप यूटी	0.04	33.61
21	मध्य प्रदेश	93.75	1,62,385.12
22	महाराष्ट्र	144.60	2,60,799.90
23	मणिपुर	0.72	1,255.76
24	मेघालय	1.39	1,053.75
25	मिजोरम	0.72	1,439.38
26	नागालैंड	0.65	750.32
27	ओडिशा	95.06	79,329.98
28	पुदुचेरी	4.27	18,535.99
29	पंजाब	37.62	1,04,353.28
30	राजस्थान	106.36	1,87,322.27
31	सिक्किम	0.26	385.19
32	तमिलनाडु	252.45	4,03,367.45
33	तेलंगाना	74.69	1,44,346.41
34	त्रिपुरा	4.44	4,267.09
35	उत्तर प्रदेश	179.17	2,28,560.29
36	उत्तराखंड	8.95	15,178.97
37	पश्चिम बंगाल	75.27	86,033.70
	कुल योग	**1762.96**	**28,50,779.43**

*****